

### हरियाणा का प्रोफाइल

हरियाणा 21 ज़िलों वाला राज्य है जिसमें से आठ ज़िले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। परिशिष्ट 1.1 में इंगित किए गए अनुसार अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में हरियाणा में गरीबी स्तर कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर 573 व्यक्ति) अखिल भारतीय औसत (प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति) से उच्चतर था। राज्य ने पिछले दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि दर्ज की तथा 2002-03 से 2011-12 तक की अवधि हेतु इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की कम्पाउंड वृद्धि दर अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में 14.46 प्रतिशत की तुलना में 17.47 प्रतिशत है। इसकी जनसंख्या 2001 में 2.11 करोड़ से 2011 में 2.54 तक इसी अवधि के दौरान अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में 13.90 प्रतिशत के विरुद्ध 19.90 प्रतिशत तक बढ़ी है।

जनसंख्या की कम वृद्धि दर के साथ जी.एस.डी.पी. की उच्चतर वृद्धि दर के परिणामस्वरूप हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर उच्चतर हुई है। चालू दशक में अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों से यह बेहतर रही है।

#### 1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय 2011-12 के दौरान हरियाणा सरकार के वित्त के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये पिछले वर्ष के संबंध में मुख्य राजकोषीय योगों में अवलोकित बदलावों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की परिशिष्ट 1.2 भाग क में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं का ले - आऊट परिशिष्ट 1.2 भाग रव में दर्शाया गया है। राजकोषीय स्थिति के आकलन के लिये अपनाई गई पद्धति तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबंध (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित मानक / सीलिंग परिशिष्ट 1.3 भाग क तथा रव में दिए गए हैं।

#### 1.1.1 चालू वर्ष के वित्तीय सम्पादनों का सार

वर्ष 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय सम्पादनों का सार तालिका 1.1 में प्रस्तुत किया गया है। परिशिष्ट 1.5 भाग क तथा रव 2011-12 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के अतिरिक्त प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण प्रदान करता है। वर्ष 2011-12 के लिए तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.), राजकोषीय सुधार पथ (एफ.सी.पी.) तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (एम.टी.एफ.सी.एस.) के प्रक्षेपण परिशिष्ट 1.6 में दिए गए हैं।

## तालिका 1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2010-11		2011-12		संवितरण		
	2010-11	2011-12			योजनेतर	योजनागत	कुल
<b>भाग – क : राजस्व</b>							
राजस्व प्राप्तियां	25,563.67	30,557.59	राजस्व व्यय	28,310.19	24,222.90	7,791.99	32,014.89
कर राजस्व	16,790.37	20,399.46	सामान्य सेवाओं	9,328.14	10,155.47	64.36	10,219.83
कर - भिन्न राजस्व	3,420.93	4,721.65	सामाजिक सेवाएं	10,904.08	7,092.54	5,549.13	12,641.67
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	2,301.75	2,681.55	आर्थिक सेवाएं	7,996.73	6,875.47	2,178.50	9,053.97
भारत सरकार से अनुदान	3,050.62	2,754.93	सहायता अनुदान एवं अंशदान*	81.24	99.42	-	99.42
<b>भाग – ख : पूँजी</b>							
विविध पूँजीगत प्राप्तियां	8.00	9.24	पूँजीगत परिव्यय	4,031.10	1,018.17	4,354.16	5,372.34
ऋणों एवं अगिमों की वसूलियां	233.05	294.12	संवितरित ऋण एवं अगिम	721.87	262.86	364.21	627.07
लोक ऋण प्राप्तियां**	9,842.73	10,766.83	लोक ऋण का पुनर्भगतान**	3,971.08	-	-	4,037.14
आकस्मिक निधि	192.83	167.52	आकस्मिक निधि	192.83	-	-	167.52
लोक लेखा प्राप्तियां	16,594.62	19,259.75	लोक लेखा संवितरण	15,324.41	-	-	17,051.18
आरम्भिक नकद शेष	493.42	376.84	अंतिम नगद शेष	376.84	-	-	2,161.75
<b>कुल</b>	<b>53,928.32</b>	<b>61,431.89</b>	<b>कुल</b>	<b>53,928.32</b>			<b>61,431.89</b>

(योतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेरवे।)

\* स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा तथा अभ्यर्पण।

\*\* अर्थोपाय अगिमों के परिचालनों अर्थात ₹ 974.27 करोड़ प्राप्तियां और ₹ 974.27 करोड़ भुगतान के बिना।

गत वर्ष से 2011-12 के दौरान वित्तीय सम्पादनों में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- कर राजस्व में ₹ 3,609 करोड़ (22 प्रतिशत) तथा कर - भिन्न राजस्व में ₹ 1,301 करोड़ (38 प्रतिशत) तक वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियां में ₹ 4,994 करोड़ (20 प्रतिशत) तक वृद्धि थी। भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से संघीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा ₹ 380 करोड़ (17 प्रतिशत) तक बढ़ गया। जी.ओ.आई. से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 296 करोड़ (10 प्रतिशत) तक घट गए। राज्य का स्वयं का कर राजस्व एफ.सी.पी. (₹ 20,752 करोड़) से 1.70 प्रतिशत कम था लेकिन 13वें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) के द्वारा निश्चित लक्ष्य से 1.13 प्रतिशत (₹ 20,171 करोड़) अधिक तथा मध्यम अवधि वित्तीय नीति विवरणी (एम.टी.एफ.पी.एस.) के प्रक्षेपण से 1.96 प्रतिशत (₹ 20,007 करोड़) अधिक था। राज्य का स्वयं का कर - भिन्न राजस्व (₹ 4,722 करोड़), ते.वि.आ. (₹ 13,397 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य से 65 प्रतिशत तक कम था किंतु वर्ष 2011-12 हेतु वित्तीय सुधार पथ (एफ.सी.पी.) (₹ 4,577 करोड़) और एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 4,287 करोड़) में बनाये गये प्रक्षेपण से क्रमशः तीन प्रतिशत और 10 प्रतिशत तक अधिक था (परिशिष्ट 1.6)।
- सामाजिक सेवाओं (₹ 1,738 करोड़), आर्थिक सेवाओं (₹ 1,057 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं (₹ 892 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय ₹ 3,705 करोड़ (13 प्रतिशत) तक बढ़ गया। गैर - योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.) (₹ 24,223 करोड़), एम.टी.एफ.पी.एस. में सरकार द्वारा किए गए प्रक्षेपणों (₹ 24,861 करोड़) से ₹ 638 करोड़ (तीन प्रतिशत) कम था परन्तु एफ.सी.पी. में किए गए


प्रक्षेपणों ( $\text{₹ } 23,490$  करोड़) तथा तेवि.आ. में मानकीय आंकलन ( $\text{₹ } 17,174$  करोड़) से क्रमशः  $\text{₹ } 733$  करोड़ (तीन प्रतिशत) और  $\text{₹ } 7,049$  करोड़ (41 प्रतिशत) अधिक था (परिशिष्ट 1.6)।

- मुख्यतः आर्थिक सेवाओं ( $\text{₹ } 1,168$  करोड़) तथा सामाजिक सेवाओं ( $\text{₹ } 137$  करोड़) में वृद्धि के कारण पूँजीगत व्यय में  $\text{₹ } 1,341$  करोड़ (33 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली 2011–12 के दौरान  $\text{₹ } 61$  करोड़ (26 प्रतिशत) तक बढ़ गई।
- लोक ऋण प्राप्तियां तथा लोक ऋण के पुनर्भुगतान में भी क्रमशः  $\text{₹ } 924$  करोड़ (नौ प्रतिशत) और  $\text{₹ } 66$  करोड़ (दो प्रतिशत) तक वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप, लोक ऋण प्राप्तियों में  $\text{₹ } 858$  करोड़ की मूल वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियां 2010–11 में  $\text{₹ } 16,595$  करोड़ से 2011–12 में  $\text{₹ } 19,260$  करोड़ तक बढ़ गई तथा इसके संवितरण 2010–11 में  $\text{₹ } 15,324$  करोड़ से 2011–12 में  $\text{₹ } 17,051$  करोड़ तक बढ़ गए।
- 2011–12 की समाप्ति पर सरकार का नकद शेष गत वर्ष की तुलना में  $\text{₹ } 1,785$  करोड़ तक बढ़ गया और  $\text{₹ } 2,162$  करोड़ हो गया।

## ► 1.2 राज्य के संसाधन


### 1.2.1 2011–12 के वित्त लेखाओं के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियों एवं पूँजीगत प्राप्तियां सरकार के संसाधन हैं। तालिका 1.1, 2011–12 के वित्त लेखाओं के अनुसार 2011–12 के दौरान सरकार की प्राप्तियों और वितरणों को प्रस्तुत करती हैं, जबकि चार्ट 1.1, 2007–12 के दौरान सरकार की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है। चार्ट 1.2, 2011–12 के दौरान सरकार के संसाधनों के संघटन को प्रदर्शित करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

चार्ट 1.2: 2011–12 के दौरान कुल प्राप्तियों का संघटन  
(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

सरकार की कुल प्राप्तियां 2007–08 में ₹ 30,252 करोड़ से ₹ 30,636 करोड़ (101 प्रतिशत) तक बढ़कर 2011–12 में ₹ 60,888 करोड़ हो गई। जबकि उसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां ₹ 10,807 करोड़ (55 प्रतिशत) तक बढ़ गई, पूँजीगत प्राप्तियां, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 10,002 करोड़ (937 प्रतिशत) बढ़ गई और लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 9,827 करोड़ (104 प्रतिशत) तक बढ़ गई। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2007–08 में 65 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 50 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि के दौरान कुल प्राप्तियों में लोक लेखा के हिस्से में 31 से 32 प्रतिशत तक थोड़ी सी वृद्धि हुई जबकि ऋण सहित पूँजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 4 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया।

### 1.2.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर हस्तांतरित निधियाँ

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न फ्लैगशिप स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये राज्य के अभिकरणों को भा.स. सीधे ही बड़ी मात्रा में निधियों का हस्तांतरण करती आ रही है। चूंकि ये निधियां राज्य बजट/राज्य ट्रेजरी तंत्र से नहीं दी जातीं, वार्षिक लेखाओं में इन निधियों का प्रवाह शामिल नहीं हो पाता तथा उस सीमा तक राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय साथ ही साथ उनसे लिये गये अन्य वित्तीय परिवर्ती/पैरामीटर कम अनुमानित ही रह जाते हैं। कुल संसाधनों की उपलब्धता की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को 2010–11 और 2011–12 में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई निधियों का विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

**तालिका 1.2: राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित निधियां  
(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	कार्यक्रम / स्कीम	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरण	केन्द्र का हिस्सा	
			2010-11	2011-12
1.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.)	23.09	35.86
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	डी.आर.डी.ए.	141.12	316.74
3.	इंदिरा आवास योजना	डी.आर.डी.ए.	59.75	80.61
4.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	डी.आर.डी.ए.	28.04	34.94
5.	महस्थल विकास कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए.	22.51	33.26
6.	एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए.	3.06	5.87
7.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन)	डी.आर.डी.ए.	18.31	23.08
8.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	डी.आर.डी.ए.	26.75	26.60
9.	सर्व शिक्षा अभियान	शिक्षा सदन सोसाइटी	419.52	767.96
10.	प्राथमिक स्तर पर वालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	शिक्षा सदन सोसाइटी	1.72	1.72
11.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय	के.जी.बी.बी.	0.85	2.26
12.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	हरियाणा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	250.91	276.10
13.	राष्ट्रीय बागबानी मिशन	लागू नहीं	51.50	76.39
14.	प्रधान मंत्री ग्राम सङ्क योजना	लागू नहीं	157.75	61.00
15.	दोपहर का भोजन		103.96	267.32
	<b>कुल</b>		<b>1,308.84</b>	<b>2,009.71</b>


(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा आपूरित सूचना।)

**तालिका 1.2** दर्शाती है कि राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों (केन्द्रीय अंश) को प्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित निधियों में 2011-12 के दौरान 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान: ₹ 348.44 करोड़ (83 प्रतिशत), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम: ₹ 175.62 करोड़ (124 प्रतिशत) और दोपहर का भोजन: ₹ 163.36 करोड़ (157 प्रतिशत) में अवलोकित की गई। तथापि, निधियों के हस्तान्तरण में प्रधान मंत्री ग्राम सङ्क योजना के अधीन ₹ 96.75 करोड़ (61 प्रतिशत) की कमी आई।

चूंकि ये निधियां सरकार के लेखाओं में नहीं आती, भा.स. से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां प्रत्यक्ष हस्तान्तरण के कारण लेखाओं के रख - रखाव और इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग में चुक का खतरा बना रहता है। इन अभिकरणों द्वारा लेखांकन की समस्प प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है और उचित प्रलेखन भी नहीं था जिसके फलस्वरूप इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय की स्थिति के बारे में समय पर रिपोर्ट नहीं की जा रही थी। उस सीमा तक वित्त लेखाओं में व्यय कम बताए गए।

### 1.3 राजस्व प्राप्तियां


वित्त लेखाओं की विवरणी 11 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर तथा कर - भिन्न राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं। 2007-12 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमशः चार्ट 1.3 एवं 1.4 में भी दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 2007 – 08 से 2011 – 12 तक की अवधि के दौरान 55 प्रतिशत तक बढ़ गई। राज्य का अपना कर राजस्व, जी.ओ.आई से सहायता अनुदान तथा केन्द्रीय कर अंतरण उसी अवधि के दौरान क्रमशः 50 प्रतिशत, 97 प्रतिशत तथा 64 प्रतिशत तक बढ़ गया। कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व (कर राजस्व और कर – भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2007 – 08 में 85 प्रतिशत से 2011 – 12 में 82 प्रतिशत तक कम हो गया, जो मुख्यतः कर – भिन्न राजस्व में 2007 – 08 में ₹ 5,097 करोड़ से 2011 – 12 में ₹ 4,722 करोड़ की कमी के कारण था। जी.ओ.आई. से सहायता अनुदान का हिस्सा तथा केन्द्रीय कर अंतरण 2007 – 08 में सात प्रतिशत और आठ प्रतिशत से 2011 – 12 में प्रत्येक में नौ प्रतिशत तक बढ़ गया।

2002 – 03 से 2010 – 11 के दौरान 14.49 प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियों की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (16.86 प्रतिशत) से कम थी। यह 2002 – 03 से 2011 – 12 के दौरान बढ़कर 15.03 प्रतिशत हो गई (परिशिष्ट 1.1)।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

चालू मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां तालिका 1.3 में दर्शाई गई हैं:

### तालिका 1.3 : जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियां (आरआर.) (₹ करोड़ में)	19,751	18,452	20,993	25,564	30,558
आरआर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.02	(-) 6.58	13.77	21.77	19.54
आरआर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	13.03	10.11	9.45	9.68	9.88
उत्पलावकता अनुपात					
जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	0.564	(-) 0.323	0.636	1.148	1.142
जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य की स्वयं की कर	0.355	0.016	0.620	1.424	1.257
उत्पलावकता					
जी.एस.डी.पी. (₹ करोड़ में)	1,51,607	1,82,502	2,22,031	2,64,149	3,09,326
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	17.76	20.38	21.66	18.97	17.10

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, जो 2007-08 में 10.02 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में (-) 6.58 प्रतिशत हो गई, ने 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान 21.77 प्रतिशत तक बढ़कर कुछ सुधार दर्शाया परन्तु 2011-12 के दौरान यह फिर कम होकर 19.54 प्रतिशत हो गई। जी.एस.डी.पी. से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशतता अनुपात भी 2007-09 में 13.03 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 9.88 प्रतिशत रह गया। जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य की स्वयं की कर उत्पलावकता जो 2007-08 में 0.355 से बढ़कर 2010-11 में 1.424 हो गई, 2011-12 में 1.257 तक कम हो गई तथा जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य उत्पलावकता, जो 2007-08 में 0.564 से बढ़कर 2010-11 में 1.148 हुई, 2011-12 में कम होकर 1.142 हो गई।


जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर में 2009-10 तक बढ़ने की प्रवृत्ति रही परन्तु 2009-10 में 21.66 प्रतिशत से 2010-11 में 18.97 प्रतिशत तक कम हो गई और 2011-12 में और कम होकर 17.10 प्रतिशत हो गई। वृद्धि दर में कभी, माध्यमिक क्षेत्र की जी.एस.डी.पी. की घटती वृद्धि दर (2009-10 में 22.4 प्रतिशत से 2011-12 में 14.5 प्रतिशत) और तृतीय क्षेत्र जी.एस.डी.पी. (2009-10 में 26.5 प्रतिशत से 2011-12 में 19 प्रतिशत) को आरोपित की गई थी।

#### 1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता - अनुदानों में राज्य के हिस्से वित्त आयोग की सिफारिशों, केंद्रीय कर प्राप्तियों, योजनागत स्कीमों इत्यादि के लिये केंद्रीय सहायता के संग्रहण के आधार पर तय होते हैं। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के निष्यादन का निर्धारण इसके स्वयं के कर एवं कर - भिन्न संसाधनों से राजस्व समाविष्ट करते हुए इसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिये। कर - भिन्न प्राप्तियों के घटकों के अतिरिक्त मुख्य करों तथा शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण की तुलना में उनके संग्रहण पर किये गये व्यय तथा 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान संगत अखिल भारतीय औसत सहित सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता **परिशिष्ट 1.7** में प्रस्तुत की गई है।

### कर राजस्व

कर राजस्व पिछले वर्ष (₹ 16,790 करोड़) से 2011–12 के दौरान 22 प्रतिशत (₹ 20,399 करोड़) तक बढ़ गया। घटक–वार वृद्धि चार्ट 1.5 में इंगित की गई है।




(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखों।)

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों से राजस्व ने कर राजस्व का प्रमुख हिस्सा (66 प्रतिशत) समाविष्ट किया तथा यह गत वर्ष से 2011–12 में 21 प्रतिशत तक बढ़ गया। स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस तथा राज्य आबकारी के अंतर्गत प्रत्येक में प्राप्तियां 2011–02 में 20 प्रतिशत बढ़ गई जबकि वाहनों पर कर 2010–11 से 62 प्रतिशत बढ़ गए। 2002–03 से 2010–11 के दौरान कर राजस्व की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 16.43 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (16.74 प्रतिशत) से कम थी। 2002–03 से 2011–12 की अवधि के लिए यह वृद्धि दर 16.97 प्रतिशत तक बढ़ गई (परिशिष्ट 1.1)। राज्य का स्वयं का कर राजस्व एफ.सी.पी. (₹ 20,752 करोड़) के प्रक्षेपणों से कम था परन्तु एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण (₹ 20,007 करोड़), ते.वि.आ. (₹ 20,171 करोड़) के निर्धारण से अधिक था।

### कर – भिन्न राजस्व

2011–12 के दौरान, गत वर्ष से ₹ 1,301 करोड़ (38 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,722 करोड़) में कुल राजस्व की प्राप्तियों का 15 प्रतिशत संघटित किया।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें।)

पशुधन से संबंधित कर-भिन्न राजस्व में ₹ 406 करोड़, बृहद तथा मध्यम सिंचाई में ₹ 381 करोड़ तथा व्याज में ₹ 176 करोड़ की वृद्धि हुई। 2002-03 से 2010-11 में कर-भिन्न राजस्व की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 8.30 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (12.84 प्रतिशत) से कम थी। यह वृद्धि दर 2002-03 से 2011-12 में 11.24 प्रतिशत तक बढ़ गई (परिशिष्ट 1.1)। तथापि, ₹ 4,722 करोड़ का कर-भिन्न राजस्व 2011-12 में ते.वि.आ. के प्रक्षेपण (₹ 13,397 करोड़) से कम था लेकिन एफ.सी.पी. के प्रक्षेपण (₹ 4,577 करोड़) और एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 4,287 करोड़) से अधिक था (परिशिष्ट 1.6)।

### कर संग्रहण पर व्यय


2007-12 के कर राजस्व संग्रहण पर व्यय विक्रयों, व्यापार इत्यादि पर करों के लिए 0.65 तथा 0.86 प्रतिशत, वाहनों पर कर के लिए 1.77 तथा 4.09 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क के लिए 0.79 तथा 1.30 प्रतिशत, स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस के लिए 0.20 तथा 1.23 प्रतिशत और माल एवं यात्रियों पर करों के लिए 0.30 तथा 0.50 प्रतिशत के बीच रहा (परिशिष्ट 1.7)। 2010-11 में संग्रहण प्रभारों पर व्यय की प्रतिशतता विक्रयों, व्यापार इत्यादि के मामले को छोड़कर अखिल भारतीय औसत से कम थी।

### 1.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आबंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उन्हें व्ययों को करने की जिम्मेवारी सौंपी गई होती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व की वैधानिकताओं की रूप रेखा में रहते हुये उधारों द्वारा दिये गए वित्त से सार्वजनिक व्यय में बढ़ौतरी के लिये बजटीय बाध्यताएं होती हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू वित्तीय सुधार एवं समेकन खासकर विकास व्यय अथवा सामाजिक क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले व्यय की कीमत पर नहीं है।

### 1.4.1 व्यय वर्धन एवं संघटन

पांच वर्षों (2007-12) की अवधि के कुल व्यय में अवलोकित प्रवृत्तियों को चार्ट 1.7 में दर्शाया गया है। ‘आर्थिक वर्गीकरण’ एवं ‘कार्यकलापों’ दोनों के संबंध में व्यय का संघटन क्रमशः चार्ट 1.8 एवं 1.9 में प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

तालिका 1.4 में गत पांच वर्षों (2007-12) के पूँजीगत व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.4: पूँजीगत व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)


	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पूँजीगत व्यय	3,426	4,502	5,218	4,031	5,372
वृद्धि दर (प्रतिशत)	41	31	16	(-) 23	33
कुल व्यय की प्रतिशतता	16.13	17.75	16.67	12.19	14.13

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

पांच वर्षों (2007-12) की अवधि में कुल व्यय 79 प्रतिशत बढ़ गया। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 83 प्रतिशत और पूँजीगत व्यय 57 प्रतिशत बढ़ गया। पूँजीगत व्यय की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 2002-03 से 2010-11 में 32.05 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (21.25 प्रतिशत) से अधिक थी। 2002-03 से 2011-12 तक की अवधि हेतु यह वृद्धि दर बढ़कर 32.15 प्रतिशत हो गई (परिशिष्ट 1.1)।


2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों का संवितरण भी 119 प्रतिशत तक बढ़ गया। तथापि, कुल व्यय में एन.पी.आर.ई. का हिस्सा 2007-08 में 68 प्रतिशत से 2011-12 में 64 प्रतिशत तक घट गया।

2002-03 से 2010-11 में कुल व्यय की कंपाऊंड वार्षिक दर 15.79 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (14.58 प्रतिशत) से अधिक थी। 2002-03 से 2011-12 तक की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 15.68 प्रतिशत हो गई। 2011-12 के दौरान ₹ 38,014 करोड़ का कुल व्यय पिछले वर्ष से 15 प्रतिशत बढ़ गया। कुल व्यय के योजना तथा गैर-योजना व्यय में विभाजन ने प्रकट किया कि योजना तथा गैर-योजना व्यय का हिस्सा 33 और 67 प्रतिशत के अनुपात में था।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2007 – 08 में 82.52 प्रतिशत से बढ़कर 2011 – 12 में 84.22 प्रतिशत हो गया जबकि कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का हिस्सा 2007 – 08 में 16.13 प्रतिशत से 2011 – 12 में 14.13 प्रतिशत तक घट गया। संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा 2007 – 08 में 1.35 प्रतिशत से 2011 – 12 में 1.65 प्रतिशत तक बढ़ गया। कुल व्यय से एन.पी.आर.ई. का अनुपात वर्ष 2010 – 11 के दौरान 67.57 प्रतिशत से 63.72 प्रतिशत तक घट गया। जी.एस.डी.पी. से एन.पी.आर.ई. का अनुपात 9.47 प्रतिशत से 7.83 प्रतिशत तक घट गया।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

व्यय के विभिन्न घटकों के संबंधित हिस्सों के चलन ने प्रकट किया कि जबकि ब्याज भुगतानों सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2007 – 08 में 26 प्रतिशत से बढ़कर 2011 – 12 में 28 प्रतिशत हो गया, आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 2007 – 08 में 41 प्रतिशत से कम होकर 2011 – 12 में 34 प्रतिशत हो गया। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जिसे विकास व्यय कहा जाता है, भी 2007 – 08 में 72 प्रतिशत से कम होकर 2011 – 12 में 71 प्रतिशत हो गया।

राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2010–11 में ₹ 28,310 करोड़ से 13 प्रतिशत बढ़कर 2011–12 में ₹ 32,015 करोड़ हो गया जो कि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर व्यय (₹ 892 करोड़) में वृद्धि के कारण था। मुख्य रूप से पेंशन (₹ 110 करोड़) पर और ब्याज भुगतानों (₹ 682 करोड़) पर अधिक व्यय किया गया। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 392 करोड़), जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 1,101 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण ₹ 1,738 करोड़ तक बढ़ गया। राजस्व व्यय के एन.पी.आर.ई. (76 प्रतिशत) तथा योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) (24 प्रतिशत) में विघटन ने दर्शाया कि एन.पी.आर.ई. का अनुपातिक हिस्सा पी.आर.ई. से बहुत अधिक था। राजस्व व्यय में ₹ 3,705 करोड़ की कुल वृद्धि में एन.पी.आर.ई. और पी.आर.ई. के क्रमशः ₹ 2,164 करोड़ और ₹ 1,541 करोड़ थे।

2011–12 में ₹ 24,223 करोड़ का एन.पी.आर.ई., ते.वि.आ. के मानकी निर्धारण (₹ 20,360 करोड़) और एफ.सी.पी. के प्रक्षेपण (₹ 23,490 करोड़) से अधिक था तथा एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण (₹ 24,861 करोड़) के भीतर था (परिशिष्ट 1.6)।

#### 1.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेरवे पर सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान और वेतन एवं मजदूरी, पेंशन तथा परिदान समाविष्ट हैं। 2007–12 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.5 एवं चार्ट 1.10 में प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका 1.5: प्रतिबद्ध व्यय के संघटक**

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां जिसका है	4,566 (23)	6,546 (35)	8,440 (40)	9,809 (38)	10,163 (32)	9,960* (33)
गैर – योजना शीर्ष	4,292	6,069	7,746	8,974	9,283	9,070
योजना शीर्ष**	274	477	694	835	880	890
ब्याज भुगतान	2,346 (12)	2,339 (13)	2,737 (13)	3,319 (13)	4,380 (14)	4,001 (13)
पेंशन का व्यय	1,298 (7)	1,614 (9)	2,390 (11)	3,094 (12)	3,250 (10)	3,204 (10)
परिदान	3,057 (15)	3,190 (17)	3,089 (15)	3,285 (13)	3,849 (12)	3,853 (13)
<b>कुल</b>	<b>11,267</b>	<b>13,689</b>	<b>16,656</b>	<b>19,507</b>	<b>21,642</b>	<b>21,018</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेरवे तथा प्रधान महालेरवाकार (लेरवा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना)।

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गये आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।

\* ₹ 80.84 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।

\*\* योजनागत शीर्ष में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिये गये वेतन एवं मजदूरियां भी सम्मिलित हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

### वेतन एवं मजदूरियां

2007–08 से 2011–12 के दौरान वेतन एवं मजदूरियां ( $\text{₹ } 9,960$  करोड़) 118 प्रतिशत बढ़ गई। वेतन एवं मजदूरियों पर व्यय की कंपाऊंड वार्षिक विकास दर 2002–03 से 2010–11 में 15.92 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (13.43 प्रतिशत) से अधिक थी। 2002–03 से 2011–12 तक की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 14.21 प्रतिशत हो गई (परिशिष्ट 1.1)। वेतन एवं मजदूरियों पर व्यय राज्य के अपने एफ.सी.पी. ( $\text{₹ } 8,760$  करोड़) तथा ते.वि.आ. के प्रक्षेपण ( $\text{₹ } 6,843$  करोड़) से अधिक था परन्तु सरकार के एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण ( $\text{₹ } 10,280$  करोड़) के भीतर था (परिशिष्ट 1.6)।

### ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान ( $\text{₹ } 4,001$  करोड़) में पांच वर्ष (2007–12) की अवधि में 71 प्रतिशत वृद्धि हुई। गत वर्ष की तुलना में 2011–12 के दौरान  $\text{₹ } 682$  करोड़ (21 प्रतिशत) की बढ़त आई। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2007–12 के दौरान लगभग स्थिर रही। 2011–12 के दौरान ब्याज भुगतान 2011–12 हेतु एफ.सी.पी. के प्रक्षेपण ( $\text{₹ } 4,125$  करोड़), एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण ( $\text{₹ } 4,345$  करोड़) और ते.वि.आ. के निर्धारण ( $\text{₹ } 4,007$  करोड़) के भीतर ही रहे (परिशिष्ट 1.6)।

### पेंशन भुगतान

2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतानों ( $\text{₹ } 3,204$  करोड़) में 147 प्रतिशत वृद्धि हुई परन्तु राजस्व प्राप्तियों से इसकी प्रतिशतता बढ़कर 2007–08 में सात से 2011–12 में 10 हो गई। पेंशन पर व्यय की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 2002–03 से 2010–11 में 19.46 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (16.89 प्रतिशत) से अधिक थी। 2002–03 से 2011–12 की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 17.56 प्रतिशत हो गई (परिशिष्ट 1.1)। 2011–12 में पेंशन भुगतानों पर व्यय ते.वि.आ. के आकलन ( $\text{₹ } 2,133$  करोड़) से अधिक था परन्तु  $\text{₹ } 3,250$  करोड़ के एफ.सी.पी. के प्रक्षेपण से कम था (परिशिष्ट 1.6)। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा पेंशन देयताओं की बढ़ोतरी को नियन्त्रित करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

## परिदान

परिदानों का भुगतान 2007–08 में ₹ 3,057 करोड़ से ₹ 796 करोड़ (26 प्रतिशत) बढ़कर 2011–12 में ₹ 3,853 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत था। ₹ 3,853 करोड़ के कुल परिदानों में से ₹ 3,585 करोड़ (93 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए थे। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को वास्तविक कुल परिदान एफ.सी.पी. में प्रक्षेपण (₹ 3,321 करोड़) से अधिक था। ₹ 268 करोड़ का शेष परिदान एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण (₹ 449 करोड़) के भीतर था (परिशिष्ट 1.6)।

## कुल प्रतिबद्ध व्यय

वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 17,084 करोड़) एफ.सी.पी. के प्रक्षेपणों (₹ 16,135 करोड़) से ₹ 949 करोड़ (6 प्रतिशत) अधिक था तथा एफ.सी.पी. में प्रक्षेपित 52 प्रतिशत के विस्तृत राजस्व प्राप्तियों का 56 प्रतिशत परिगणित किया गया। 2011–12 के दौरान चार संघटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान और परिदान ने एन.पी.आर.ई. का लगभग 83 प्रतिशत संघटित किया।

### 1.4.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों एवं ऋणों के माध्यम से दी गई सहायता की प्रमाणा तालिका 1.6 में दी गई है।

**तालिका 1.6: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता**

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12		
					बजट अनुमान	वास्तविक	विभिन्नताओं की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थान (सहायतित स्कूल, सहायतित कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	459.65	538.49	446.03	741.79	1,120.75	648.39	(-) 42
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	103.22	464.45	306.24	291.43	897.89	894.67	-
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	93.88	412.16	366.26	267.83	842.25	722.40	(-) 14
विकास अभियान	520.33	268.75	333.48	388.23	501.32	480.96	(-) 4
अस्पताल तथा धर्मार्थ संस्थाएं	49.46	46.80	125.79	211.97	376.10	357.67	(-) 5
अन्य संस्थाएं	345.05	322.72	368.89	322.21	245.59	201.92	(-) 18
<b>कुल</b>	<b>1571.59</b>	<b>2053.37</b>	<b>1946.69</b>	<b>2223.46</b>	<b>3983.90</b>	<b>3306.01</b>	<b>(-) 17</b>
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	9	10	8	8		10	

(योतः प्रधान महालेखाकार (लेरखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना।)

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2007–08 में ₹ 1,571.59 करोड़ से 2011–12 के दौरान राजस्व व्यय का 10 प्रतिशत संघटित करते हुए बढ़कर ₹ 3,306.01 करोड़ हो गई। गत वर्ष की तुलना में ₹ 1082.55 करोड़ (49 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी मुख्यतः नगर निगमों तथा नगरपालिका समितियों (₹ 603.24 करोड़), जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं (₹ 454.57 करोड़), अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थानों (₹ 145.70 करोड़) तथा विकास एजैसियों (₹ 92.73 करोड़) को सहायता में वृद्धि के कारण थी। शैक्षणिक संस्थाओं और अन्य संस्थाओं को सहायता क्रमशः ₹ 93.40 करोड़ और ₹ 120.29 करोड़ तक कम हो

गई। ₹ 3,983.90 करोड़ की अनुमानित निर्मुक्ति के विरुद्ध ₹ 3,306.01 करोड़ निर्मुक्ति किए गए। बजट अनुमानों की तुलना में विकास एजैसियां, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थानों और जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को वास्तव निर्मुक्ति में कमी की रेज चार और 42 प्रतिशत के मध्य थी।

### स्थानीय निकायों में कार्यों, निधियों की सुपुर्दगी और लेखापरीक्षण और रिपोर्टिंग व्यवस्थाएं

#### पंचायती राज संस्थाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की हालत में सुधार के उद्देश्य से तथा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुपालन में हरियाणा सरकार ने शक्तियों के विकेन्द्रीकरण तथा जिले, खंड और ग्राम स्तर पर स्थानीय शासी निकायों के तीन - स्तरीय ढांचे के दृढ़ीकरण के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 लागू किया है। 31 मार्च 2011 को राज्य में 21 जिला परिषदें (जेड.पीज), 119 पंचायत समितियां (पी.एसज) तथा 6,155 ग्राम पंचायतें (जी.पीज) कार्यशील थीं। ग्राम पंचायतों के चुनाव जून - जुलाई 2010 में करवाए गए थे।

#### कार्यों की सुपुर्दगी

73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आईज) को वित्तीय रूप से सक्षम तथा स्वायत्त बनाने के लिए उनकी निधियों, कार्यों तथा कार्यविधियों की सुपुर्दगी पर विचार किया गया है। राज्य ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की अनुसूचियों में शामिल करने के माध्यम से पंचायतों के तीन स्तरों तक संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल सभी 29 कार्यों की सुपुर्दगी कर दी है। 29 कार्यों में से 10 कार्य पी.आर.आईज द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं, जैसाकि नीचे वर्णन किया गया है:

#### पी.आर.आईज को सौंपे गए कार्यों का व्यौरा

क्र.सं.	पी.आर.आईज को सौंपे गए तथा हस्तांतरित कार्य
1	आवश्यक पदार्थों (पी.डी.एस.) का वितरण
2	स्वास्थ्य, आयोजना, सामाजिक मॉनीटरिंग
3	जल आपूर्ति प्रणाली का विकास
4	विकलांगों का कल्याण, अनाथों, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, वृद्धों का कल्याण, विधवा पैशन
5	सिंचाई
6	पशुधन, पशुचिकित्सा सेवायें, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता सहित भोजन तथा चारे का विकास
7	स्कूली भवनों का निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण
8	एकीकृत बाल विकास योजना, टीकाकरण, पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच शिविर, संदर्भ सेवा, नारी सशक्तिकरण तथा अन्य योजनाएं
9	कृषि विस्तार सेवायें
10	पौधारोपण

#### निधियां और लेखापरीक्षन

विभिन्न विकास कार्यों के निष्पादन के लिए पी.आर.आईज मुख्यतः जी.ओ.आई. और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करती हैं। जी.ओ.आई. अनुदान में बारहवें और तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन नियत अनुदान शामिल होते हैं। राज्य सरकार के अनुदान राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.जी.) की सिफारिशों के अंतर्गत प्राप्त किए जाते हैं। वर्ष 2010 - 11 के दौरान पी.आर.आईज ने 10 स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 680.21 करोड़

की कुल उपलब्ध निधियों में से ₹ 549.90 करोड़ का व्यय किया। पंचायती राज मंत्रालय (एम.ओ.पी.आर.) द्वारा मॉडल एकाऊटिंग स्ट्रॉक्चर 2009 को अभी सी.ए.जी. के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अपनाया जाना है।

### लेखापरीक्षण तथा रिपोर्टिंग

निदेशालय, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, हरियाणा पी.आर.आई. इकाइयों की लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा करने के बाद, संबंधित पी.आर.आई.ज को निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.ज) जारी की जाती है, जो आई.आर.ज के उत्तर प्रस्तुत करती है। राज्य सरकार के अनुरोध पर पी.आर.आई.ज की लेखापरीक्षा अक्तूबर 2009 से नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के विचार से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा की जा रही है।

छ: जेड.पीज, 31 पी.एसज और 73 जी.पीज के वर्ष 2009-10 के लेखाओं के अभिलेखों की नमूना - जांच 2010-11 के दौरान की गई थी। पी.आर.आई.ज के लेखाओं के प्रमाणीकरण का कार्य प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा को नहीं सौंपा गया है।

### शहरी स्थानीय निकाय

संविधान के चौहतरवें संशोधन में शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.ज) के तीन स्तरों (नगर निगम, नगर परिषदों और नगर समितियों) पर विचार किया गया है। शहरों और कस्बों को पर्याप्त मूलभूत संरचना और मूल आवश्यकताओं के साथ उपयुक्त तथा योजनागत विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को 18 कार्य सौंपे हैं। हरियाणा में यू.एल.बी.ज के अंतिम चुनाव मई 2010 में करवाए गए थे। राज्य में आठ नगर निगम, 15 नगर परिषदें तथा 55 नगर समितियां हैं। हरियाणा सरकार ने यू.एल.बी.ज को 18 कार्य सौंपे हैं। इनमें से नीचे दी गई सूची के अनुसार 12 कार्य यू.एल.बी.ज को हस्तांतरित किए गए हैं और छ: कार्य प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से हस्तांतरित नहीं किए जा सके।

### यू.एल.बी.ज को सौंपे गए कार्यों का विवरण

क्र.सं.	यू.एल.बी.ज को सौंपे गए तथा हस्तांतरित कार्य
1	भूमि प्रयोग का नियमन तथा भवनों का निर्माण
2	सड़कें तथा पुल
3	जलापूर्ति - घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक
4	जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई व्यवस्था तथा सीवरेज जल अनुरक्षण
5	अग्निशमन सेवाएं
6	स्लम सुधार तथा उन्नयन
7	शहरी आवश्यकताओं तथा सुविधाओं - पार्कों, बागों तथा खेल के मैदानों का प्रावधान
8	दफनाना तथा कब्रिस्तान, दाह - संस्कार, शमशान तथा विद्युत शवदाहगृह
9	पशु तालाब, पशुओं से निर्दियता की रोकथाम
10	जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े
11	स्ट्रीट लाईटिंग, पार्किंग लोट्स, बस स्टॉपस तथा जन सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुख - सुविधाएं
12	बूचड़खाना और चर्मशोधनशाला का नियमन

## निधियां एवं लेखांकन

विभिन्न विकास कार्यों के निष्पादन के लिए यू.एल.बीज, जी.ओ.आई. और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करती हैं। जी.ओ.आई. के अनुदानों में 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत अनुदान शामिल हैं। राज्य सरकार के अनुदान राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) की सिफारिशों के अन्तर्गत कुल कर राजस्व के निवल आय की सुपुर्दग्गी के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यू.एल.बीज करों, किरायों, फीसों, लाईसेंस जारी करने इत्यादि के रूप में भी निधियां प्राप्त करते हैं। नगर समितियों, नगर परिषदों और नगर निगमों के लेखाओं का रख - रखाव नगर लेखा संहिता, 1930 द्वारा शासित होता है।

## लेखापरीक्षण तथा रिपोर्टिंग

निदेशालय, स्थानीय लेखापरीक्षा, हरियाणा एक साविधिक लेखापरीक्षक है तथा सभी नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर समितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है। 11वें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) ने सिफारिश की कि यू.एल.बीज के तीनों स्तरों के लेखाओं के उपयुक्त अनुरक्षण तथा लेखापरीक्षा पर नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सी.ए.जी. को सौंपी जानी चाहिए। ई.एफ.सी. की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार ने नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के भाग 20 (1) के अंतर्गत यू.एल.बीज की नमूना लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को सौंप दी (अगस्त 2008)। यू.एल.बीज के लेखाओं के प्रमाणीकरण का कार्य प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा को नहीं सौंपा गया है।

### 1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं का होना सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार में मूलतः तीन पहलू सम्मिलित होते हैं उदाहरणार्थ व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने का पर्याप्त प्रावधान); व्यय की कार्यकुशलता तथा व्यय का उपयोग एवं प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिये परिव्यय - परिणाम संबंधों का आकलन)।

#### 1.5.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक मूलभूत संरचना पर व्यय जिम्मेवारियां राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं। मानवीय विकास स्तरों को बढ़ाने के लिये राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। निम्न वित्तीय प्राथमिकता (कुल व्यय से व्यय श्रेणी का अनुपात), किसी विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ी होती है, यदि यह संबद्ध राष्ट्रीय औसत से नीचे है। तालिका 1.7 विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पंजीगत व्यय से संबंधित सरकार की 2011-12 के दौरान वित्तीय प्राथमिकता एवं वित्तीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.7: 2008 – 09 और 2011 – 12 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई. / जी.एस.डी.पी. <sup>(a)</sup>	डी.ई. #/ ए.ई.	एस.एस.ई. / ए.ई.	सी.ई./ए.ई.	शिक्षा / ए.ई.	स्वास्थ्य / ए.ई.
*सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2008-09	17.00	67.09	34.28	16.47	15.41	3.97
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2008-09	13.90	73.89	32.99	17.74	15.55	3.03
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2011-12	16.09	66.44	36.57	13.25	17.18	4.30
हरियाणा का औसत (अनुपात)*2011-12	12.29	71.53	36.85	14.13	16.74	3.28

\* तीन राज्यों अर्थात् दिल्ली, गोवा तथा पुदुचेरी को छोड़कर सामान्य श्रेणी राज्य।  
<sup>(a)</sup> जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत के रूप में।  
ए.ई. - कुल व्यय, जी.ई. - विकास व्यय, एस.एस.ई. - सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई. - पूँजीगत व्यय।  
<sup>b</sup> विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय और सवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।  
जी.एस.डी.पी. का स्रोत: राज्य के आर्थिक एवं सार्विकीय निवेशालय से सूचना प्राप्त की गई थी।

तालिका 1.7 2008 – 09 एवं चालू वर्ष अर्थात् 2011 – 12 में राज्य के व्यय की विभिन्न श्रेणियों को दी गई राजकोषीय प्राथमिकताओं की तुलना दर्शाती है।

### वित्तीय प्राथमिकता:

- जी.एस.डी.पी. के अनुपात के रूप में हरियाणा का कुल व्यय 2008 – 09 तथा 2011 – 12 दोनों वर्षों में सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में कम था।
- सरकार ने 2008 – 09 तथा 2011 – 12 में डी.ई. को पर्याप्त वित्तीय प्राथमिकता दी, क्योंकि ए.ई. से इसका अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात से अधिक था।
- 2008 – 09 में ए.ई. से एस.एस.ई. का अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के तदनुस्पी अनुपात से कम था किन्तु सरकार ने 2011 – 12 में इस क्षेत्र को पूरी प्राथमिकता दी क्योंकि ए.ई. से इसका अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से अधिक था।
- ए.ई. से सी.ई. का अनुपात 2008 – 09 तथा 2011 – 12 में अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से अधिक था।
- ए.ई. से शिक्षा पर व्यय का अनुपात 2011 – 12 में अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से कम था।
- हरियाणा में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता 2008 – 09 तथा 2011 – 12 में अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों से कम थी। सरकार द्वारा स्वास्थ्य को सामान्य वित्तीय प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यता है।

#### 1.5.2 व्यय में दक्षता

विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिये समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स के लिए निधियों के प्रावधान पर माहत्व देना आवश्यक है। विकास व्यय आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त पूँजीगत व्यय का कुल व्यय (और/अथवा जी.एस.डी.पी.) से अनुपात और वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख – रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा भी व्यय में दक्षता प्रतिबिम्बित होती है। इन अवयवों का कुल व्यय (और/अथवा जी.एस.डी.पी.)

1 सामान्य श्रेणी राज्य – विशेष श्रेणी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड) के रूप में नामांकित 11 राज्यों से पृथक अन्य राज्य।

से अनुपात जितना उच्चतर होगा उतनी ही अच्छी व्यय की गुणवत्ता होगी। तालिका 1.8 2007-08 से 2011-12 के दौरान राज्य के कुल व्यय में से विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शती है।

तालिका 1.8: विकास व्यय


(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	15,346(72)	18,743(74)	23,103(74)	23,266 (70)	29,037(72)	27,192(72)
क) विकास राजस्व व्यय	11,961(56)	14,294(56)	17,432(56)	18,901(57)	23,892(59)	21,696(57)
ख) विकास पूँजीगत व्यय	3,255(15)	4,307(17)	5,031(16)	3,832(12)	4,451(11)	5,137(14)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	130(0.61)	142(0.56)	640(2)	533(8)	694(2)	359(1)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

(नोट: कोष्ठकों में दिए गए अंक कुल व्यय की प्रतिशतता के सूचक हैं।)

चार्ट 1.11 2007-12 के दौरान घटक - वार विकास व्यय प्रस्तुत करता है



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान विकास व्यय में 77 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह व्यय, जिसने कुल व्यय का 72 प्रतिशत संघटित किया, 2010-11 में ₹ 23,266 करोड़ से मात्र ₹ 3,926 करोड़ (17 प्रतिशत) बढ़कर 2011-12 में ₹ 27,192 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय ने विकास व्यय का 80 प्रतिशत संघटित किया जबकि ऋणों और अग्रिमों सहित पूँजीगत व्यय का हिस्सा केवल 20 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान विकास पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से 34 प्रतिशत बढ़ गया। ₹ 29,037 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 27,192 करोड़ था। तालिका 1.9, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर खर्च किये गये पूँजीगत व्यय और राजस्व व्यय के अवयवों के विवरणों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.9: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय – प्रयोग की दक्षता

सामाजिक /आर्थिक आधारभूत संरचना	2010-11			2011-12		
	टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर.ई. में हिस्सा		टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर.ई. में हिस्सा	
		एस. एंड डब्ल्यू	ओ. एंड एम.		एस. एंड डब्ल्यू	ओ. एंड एम.
<b>सामाजिक सेवाएं (एस.एस.)</b>						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.013	67.61	0.69	0.012	66.25	0.02
स्वास्थ्य एवं परिचार कल्याण	0.017	74.46	- <sup>2</sup>	0.040	62.57	- <sup>2</sup>
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.463	36.63	7.08	0.337	19.80	5.52
<b>कुल (एस.एस.)</b>	<b>0.122</b>	<b>63.91</b>	<b>1.55</b>	<b>0.117</b>	<b>54.84</b>	<b>1.31</b>
<b>आर्थिक सेवाएं (ईएस.)</b>						
कृषि एवं सम्बन्धित कार्य	0.126	46.81	1.61	0.420	43.99	2.01
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.458	49.86	7.43	0.471	44.04	8.62
विद्युत एवं ऊर्जा	0.181	0.03	-	0.182	0.03	-
परिवहन	0.392	44.37	19.89	0.388	41.38	3.65
<b>कुल (ईएस.)</b>	<b>0.278</b>	<b>26.10</b>	<b>5.78</b>	<b>0.329</b>	<b>22.68</b>	<b>2.27</b>
<b>कुल (एस.एस. + ईएस.)</b>	<b>0.200</b>	<b>46.85</b>	<b>3.46</b>	<b>0.224</b>	<b>40.79</b>	<b>1.73</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखों)

टी.ई.: कुल व्यय, सी.ई.: पूँजीगत व्यय, आर.ई.: राजस्व व्यय, एस. एंड डब्ल्यू.: वेतन एवं मजदूरियां, ओ. एंड एम.: कार्य एवं रख - रखाव

कुल व्यय से सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का अनुपात 2010-11 में 0.122 से 2011-12 में 0.117 तक कम हो गया जबकि आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का अनुपात 2010-11 में 0.278 से 2011-12 में 0.329 तक बढ़ गया।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2010-11 में 63.91 प्रतिशत से 2011-12 में 54.84 प्रतिशत तक कम हो गया। ओ. एवं एम. पर व्यय का हिस्सा 2011-12 में 1.55 प्रतिशत से कम होकर 1.31 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2010-11 में 26.10 प्रतिशत से 2011-12 में 22.68 प्रतिशत तक कम हो गया। ओ. एवं एम. का हिस्सा भी 2010-11 में 5.78 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 में 2.27 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं संयुक्त के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2010-11 में 46.85 प्रतिशत से 2011-12 में 40.79 प्रतिशत तक कम हो गया। ओ. एवं एम. का हिस्सा भी 2010-11 में 3.46 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 में 1.73 प्रतिशत हो गया।

<sup>2</sup> 0.01 से कम।

### 1.5.3 फ्लैगशिप योजनाएँ: व्यय की स्थिति

भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों हेतु जारी किए गए धन, किए गए व्यय की प्रमात्रा तथा 2011-12 के अन्त पर उपलब्ध शेष तालिका 1.10 में दिए गए हैं।

**तालिका 1.10: हरियाणा में कार्यान्वित फ्लैगशिप स्कीमों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय  
(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	स्कीम का नाम	प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों से व्यय की प्रतिशतता
		जी.ओ.आई. से	राज्य का हिस्सा	आरंभिक शेष सहित अन्य स्रोत			
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	276.10	35.00	19.73	330.83	286.01	77
2	एकीकृत वाटर शैड प्रबंधन कार्यक्रम (मस्तिष्ठल विकास कार्यक्रम)	5.84	1.52	66.35	73.71	28.74	39
3	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	277.88	36.06	16.30	330.24	316.60	95
4	त्वरित सिंचाइ लाभ कार्यक्रम	0.00	20.00	-	20.00	19.62	98
5	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि	18.67	44.51	-	63.18	32.36	51
6	इन्दिरा आवास योजना	58.12	20.25	5.98	84.35	80.61	96
7	सर्व शिक्षा अभियान	404.61	273	159.41	837.02	670.19	80
8	ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम (क) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम	237.74	0	145.75	383.49	345.59	93
	(ख) मस्तिष्ठल विकास कार्यक्रम	100.14	-	49.00	149.14	133.97	89
9	दोपहर का भोजन स्कीम	220.14	52	43.74	315.88	311.06	88
10	एकीकृत वाल विकास सेवाएं स्कीम	123.92	21.00	-	144.92	186.78	129
11	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	76.39	14.76	3.21	94.36	75.84	80
12	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	60	--	55.71	115.71	60.81	52
13	कृषि का वृहत प्रबंध जिसमें वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशैड विकास परियोजना और विस्तार सेवाएं सम्मिलित हैं।	15.77	0.98	0.61	17.36	11.37	65
14	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन		38.19	77.03	115.22	109.81	95
15	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	20.97	-	114.63	135.60	104.30	77
16	त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम	-	-	65.47	65.47	9.00	14
17	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	50.06	-	4.74	54.80	47.61	87

(स्रोत: वित्तीय लेखे एवं संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना।)

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग जहां केवल 14 प्रतिशत था, यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि और एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम के मामले में 51 तथा 77 प्रतिशत के मध्य था।

### 1.6 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 के फ्रेमवर्क में राज्य से अपना राजकोषीय धाटा (और उधारों) न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को अन्तर्निहित परिदानों के रूप में बजट में खर्च करने के बजाय इसके निवेशों पर पर्याप्त आमदनी कमाने और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करने और वित्तीय परिचालनों में निष्पक्षता लाने के लिये जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। यह धारा पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

### 1.6.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2012 को ₹ 411.61 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली सात सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2011–12 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 573.39 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 139 प्रतिशत था। परिचालन एवं रख – रखाव (₹ 226.27 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 20.58 करोड़) पर व्यय वहन करने के पश्चात ₹ 326.54 करोड़ का लाभ अर्जित किया जो इन परियोजनाओं पर पूंजीगत लागत का 79 प्रतिशत परिकलित हुआ।

### 1.6.2 अपूर्ण परियोजनायें

31 मार्च 2012 को अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित विभागवार संचना तालिका 1.11 में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अन्तर्गत केवल वे परियोजनायें समिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथि यथा 31 मार्च 2012 पहले ही समाप्त हो चुकी है।

**तालिका 1.11: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति**

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजट लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	मार्च 2012 तक कुल व्यय
भवन एवं सड़कें	3	51.44	–	39.22
सिंचाई	3	133.49	–	96.67
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	2	49.87	–	49.71
<b>कुल</b>	<b>8</b>	<b>234.80</b>	<b>–</b>	<b>185.60</b>

(स्रोत: 2010–11 के राज्य वित्त लेखे।)

इन परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि अप्रैल 2007 और सितम्बर 2011 के बीच थी, परन्तु ये छः मास से पांच वर्ष तक विलम्ब के बावजूद अपूर्ण थीं। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किए गये थे।

### 1.6.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2012 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सांझा स्टाक कम्पनियों और सहकारी समितियों में ₹ 6,981.91 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.12)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर प्रतिलाभ का औसत 0.11 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2007–12 के दौरान उधारों पर 8.70 प्रतिशत औसत ब्याज दर अदा की।

**तालिका 1.12: निवेशों पर प्रतिलाभ**

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट	वास्तविक अनुमान
वर्ष के अन्त पर निवेश (₹ करोड़ में)	3,988.43	5,031.32	5,575.18	6,376.98	727.85	6,981.91
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	6.05	8.27	9.60	2.48	10.70	1.64
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.15	0.16	0.17	0.04	0.15	0.02
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.43	7.82	9.29	9.22	8.49	9.73
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	7.28	7.66	9.12	9.18	8.34	9.71

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

सरकार द्वारा निवेश 2007-08 से 2011-12 तक पांच वर्षों की अवधि में 75 प्रतिशत बढ़ा, निवेशों से प्रतिलाभ 2007-08 में ₹ 6.05 करोड़ (0.15 प्रतिशत) से 2011-12 में ₹ 1.64 करोड़ (0.02 प्रतिशत) तक घट गए। सरकार ने अपने उद्धारों पर 2007-12 के दौरान 7.43 से 9.73 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.02 और 0.17 के बीच रही। 2011-12 के दौरान बजट प्रावधान (₹ 727.97 करोड़) के विरुद्ध ₹ 604.93 करोड़ के निवेश थे।

2011-12 तक ₹ 6,558 करोड़ के कुल निवेश सहित 12 सरकारी कम्पनियां नुकसान उठा रही थीं और 2011-12 तक इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 7,203 करोड़ हो गईं (परिशिष्ट 1.8)। यह देखना उपयुक्त है कि 2011-12 में सरकार द्वारा यू.एच.बी.वी.एन.एल. (₹ 96 करोड़), एच.पी.जी.सी.एल. (₹ 183 करोड़) तथा एच.वी.पी.एन.एल. (₹ 300 करोड़) की साम्या पूंजी में कुल ₹ 579 करोड़ (96 प्रतिशत) का निवेश किया गया था। वर्ष के दौरान इन चार<sup>3</sup> विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनियों में ₹ 6,632 करोड़ की हानियों ने सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों (₹ 7,203 करोड़) का 92 प्रतिशत संघटित किया। हानियां मुख्यतः वित्तीय प्रबन्ध, योजना, परियोजनाओं के कार्यान्वयन, परिचालनों एवं मानोटरिंग में कमियों के कारण हुईं। इस प्रकार, सरकार को अच्छे प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए न केवल उच्च लागत उद्धारों को अधिक सूझबूझ से निवेश करने की ही ज़रूरत है बल्कि अपनी साम्या को नुकसान उठाने वाली इकाईयों से निकालने की भी ज़रूरत है।

ते.वि.आ. ने सिफारिश की कि राज्य सरकार को मार्च 2011 तक गैर-कार्यचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.ज) को बंद करने के साथ-साथ उनके विनिवेश तथा निजीकरण के लिए एक मार्गचित्र रेखांकित करना चाहिए। 31 मार्च 2012 को सात<sup>4</sup> गैर-कार्यचालन पी.एस.यू.ज (सभी कंपनियां) थे। इनमें से दो<sup>5</sup> पी.एस.यू.ज बंद होने के अधीन थे परन्तु उनकी समापन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। राज्य सरकार ने गैर-कार्यचालन पी.एस.यू.ज की विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन की क्रिया भी शुरू नहीं की।

#### 1.6.4 विभागीय रूप से प्रबाधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किये जाते हैं। उस वर्ष, जिसके प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किये गये हैं, तक सरकार द्वारा किये गये निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के अतिरिक्त इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी से प्रतिलाभ परिशिष्ट 1.9 में दिए गए हैं। निम्नलिखित बिन्दु अवलोकित किए गए थे:

- उस वित्तीय वर्ष, जिसके लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, के अंत तक सरकार द्वारा पांच उपक्रमों में ₹ 4,269.96 करोड़ की राशि निवेश की गई थी।
- तीन उपक्रमों ने ₹ 3,747.22 करोड़ की निवेशित पूंजी के विरुद्ध ₹ 14.59 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया जिससे 0.39 प्रतिशत के प्रतिलाभ की दर प्राप्त हुई।
- नुकसान में चल रहे उपक्रमों में से हरियाणा रोडवेज पांच वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चल रहा था और कृषि विभाग (बीज डिपो योजना) ने पिछले 24 वर्षों से इसके प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये थे।

3 हानियां: यू.एच.बी.वी.एन.एल. (₹ 3,820 करोड़), डी.एच.बी.वी.एन.एल. (₹ 2,686 करोड़), एच.पी.जी.सी. (₹ 104 करोड़) और एच.वी.पी.एन. (₹ 22 करोड़)।

4 (i) हरियाणा राज्य लघु सिचाई (ट्यूबवैल) निगम, (ii) हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, (iii) हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड, (iv) हरियाणा चर्म उद्योग लिमिटेड, (v) हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम लिमिटेड तथा (vi) हरियाणा खनिज लिमिटेड।

5 (i) हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड तथा (ii) हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड।

- ₹ 522.74 करोड़ के कुल निवेश के विरुद्ध दो<sup>6</sup> विभागीय उपक्रमों की सचित हानियां ₹ 115.40 करोड़ थी।

### 1.6.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार ने कई संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम प्रदान किए हैं। तालिका 1.13 31 मार्च 2012 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

**तालिका 1.13 : राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज** (₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत की पमात्रा	2009-10	2010-11	2011-12	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	1,877	2,494		2,983
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	830	722	957	627
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	213	233	233	294
अन्त शेष	2,494	2,983		3,316
जिसके लिए नियम व शर्ते निर्धारित की गई के लिये लम्बित शेष	2,494	2,983		3,316
निवल बढ़ोतरी	617	489	724	333
ब्याज प्राप्तियां	73	54	109	58
बकाया ऋणों व अग्रिमों की ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशतता	3.34	1.97	3.26	1.84
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं के ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.96	7.17	8.31	7.34
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच का अन्तर (प्रतिशत)	3.62	5.20		5.5

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

31 मार्च 2012 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 3,316 करोड़ थे। जबकि 2011-12 के दौरान सरकारी उधारों पर प्रदत्त 9.73 प्रतिशत की भारित ब्याज दर के विरुद्ध अग्रिम दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज की दर 2011-12 में 1.84 प्रतिशत थी। ऋणों एवं अग्रिमों पर वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 58 करोड़ का ब्याज बजटीय प्रक्षेपणों (₹ 109 करोड़) से कम था। हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़, जो जुलाई 2002 में बंद हो गई थी, के विरुद्ध ₹ 1.76 करोड़ के ऋण बकाया थे। पिछले ऋणों की किसी वसूली के बिना सहकारी चीनी मिलों को ₹ 88.88 करोड़ के और ऋण दिए गए थे।

जलापूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए नगर निगमों/सुधार ट्रस्टों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों (₹ 40.72 करोड़) तथा ₹ 78.14 करोड़ के ब्याज, तालिका 1.14 में वर्णित अनुसार, 2011-12 के अंत तक वसूली के लिए विलम्बित थे।

**तालिका 1.14: विलम्बित ऋण एवं अग्रिम तथा उन पर ब्याज**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूलधन	ब्याज
2008 तक	32.86	66.68
2009-10	2.62	3.82
2010-11	2.62	3.82
2011-12	2.62	3.82
<b>कुल</b>	<b>40.72</b>	<b>78.14</b>

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे।)

6 कृषि विभाग (बीज डिपो योजना): ₹ 0.10 करोड़ तथा हरियाणा रोडवेज़: ₹ 115.30 करोड़।

4,139 मामलों में ₹ 15.38 करोड़ के ऋणों की स्वीकृति सरकारी विभागों/संस्थानों से प्रतीक्षित थी। ₹ 12.55 करोड़ के ऋणों से आवेदित 136 मामलों में स्वीकृतियां 15 वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षित हैं जबकि शेष मामलों में स्वीकृतियां 10 से 15 वर्षों हेतु प्रतीक्षित थीं।

प्रशासनिक विभागों से ऋणों, जिनके विस्तृत लेरवे विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं, के मूलधन एवं ब्याज की वसूली में बकाये प्रत्येक वर्ष जुलाई तक पी.ए.जी. (ए. एंड ई.) को सूचित करने अपेक्षित हैं। 2011-12 के दौरान 14 विभागीय अधिकारियों से 225 विवरणियां देय थीं जिनमें से एक विभाग से मात्र एक विवरणी प्राप्त की गई थी।

#### 1.6.6 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों में से सरकार द्वारा किये गये निवेशों को तालिका 1.15 दर्शाती है।

**तालिका 1.15: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश**

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2011 को	31 मार्च 2012 को	बढ़त (+) / घटत (-)
रोकड़ शेष	376.84	2,161.75	(+) 1,784.91
रोकड़ शेषों के निवेश (क से घ)	683.53	370.74	(-) 312.79
क) भारत सरकार के कोषालय बिल	683.53	370.74	(-) 312.79
ख) भारत सरकार प्रतिभूतियां			
ग) अन्य प्रतिभूतियां			
घ) अन्य निवेश			
निर्धारित शेषों से निवेशों का निधिवार विघटन (क से ड.)	1,455.13	1,837.64	(+) 382.51
क) शोधन निधि	523.85	714.97	(+) 191.12
ख) विकास स्कीमों के लिए निधियां	0.11	0.11	-
ग) हरिजन उत्थान के लिये गांवों पुनर्निर्माण निधियां	2.19	2.19	-
घ) राज्य डिजास्टर रिस्पांस निधि (आपदा प्रबन्ध निधि)	864.74	1,050.50	(+) 185.76
ड) गारंटी विमोचन निधि	64.24	69.87	(+) 5.63
प्राप्त ब्याज	40.59	40.64	(+) 0.05

(चोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेरवे।)

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष ₹ 376.84 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,161.75 करोड़ हो गया। रोकड़ शेषों में से निवेश ₹ 683.53 करोड़ से घटकर ₹ 370.74 करोड़ रह गया। चिन्हित शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2011 को ₹ 1,455.13 करोड़ से ₹ 382.51 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2012 को ₹ 1,837.64 करोड़ हो गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुबंध के अनुसार सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था परन्तु 2011-12 के दौरान 11 दिन के लिए साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम ₹ 974.27 करोड़ लेकर न्यूनतम रोकड़ शेष रखा गया था जिसके लिए 5.25 से 11.25 प्रतिशत की दर पर ₹ 1.51 करोड़ का ब्याज दिया गया था।

## ► 1.7 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं


### 1.7.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की बढ़त एवं बनावट

विद्यमान सरकारी लेखांकन पद्धति में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखा नहीं रखा जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किये गये व्यय से सूजित परिसम्पत्तियों को सम्प्रित करते हैं। 31 मार्च 2012 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2011 की सदृश स्थिति से तुलना करके परिशिष्ट 1.5 भाग के एवं रख में दिया गया है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताएं मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखा और सुरक्षित निधि से प्राप्तियों से बनती हैं, परिसम्पत्तियां मुख्यतः पूँजी लागत और राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ शेषों को समाविष्ट करती हैं।

जैसा कि एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में परिभाषित किया गया है 'कुल देयता' से अभिप्राय राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत देयताएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा लिए गए उधारों और विशेष प्रयोजन वाहनों एवं गारंटियों सहित अन्य समतुल्य दस्तावेजों, जहां मूलधन और /या ब्याज राज्य बजट से दिये जाते हैं, को भी शामिल करेगा।

### 1.7.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को परिशिष्ट 1.5 भाग – रख में प्रस्तुत किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2011–12 के दौरान राजकोषीय देयताओं की सरंचना को चार्ट 1.12 और 1.13 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2010–11 में ₹ 46,282 करोड़ से बढ़कर 2011–12 में ₹ 54,540 करोड़ हो गई। लोक ऋण (₹ 6,730 करोड़) और लोक खाता देयताओं (₹ 1,528 करोड़) में बढ़ोत्तरी के कारण पिछले साल से 2011–12 के दौरान वद्ध दर 17.84 प्रतिशत थी। जी.एस.डी.पी. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने लगातार गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई और 2007–08 में 0.192 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 0.176 प्रतिशत हो गया। 2011–12 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 1.78 गुणा और राज्य के अपने स्रोतों का 2.17 गुणा थी। वर्ष 2011–12 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 4,001 करोड़ (7.34 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 54,540 करोड़ की कुल राजकोषीय देयताएं एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपणों (₹ 54,319 करोड़) के भीतर थी।

सरकार ने 2002-03 के दौरान एक समेकित ऋण - निधि स्थापित कर ली है। पिछले वर्ष की 31 मार्च को बकाया बाजार उधारों के एक प्रतिशत के बराबर राशि प्रत्येक वर्ष इस निधि में जमा की जाती है। 31 मार्च 2012 को ऋण - निधि में अंत शेष ₹ 717.10 करोड़ था।

### 1.7.3 गारंटियों - आकस्मिक देयताओं की स्थिति

उधार लेने वाले, जिनके लिये गारंटियां दी गई हैं, के दोषी हो जाने पर, गारंटियां वे देयताएं हैं जो राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक आ जाती है। राज्य की संचित निधि की सुरक्षा पर सरकार जिस सीमा के अन्तर्गत गारंटियां दे सकती है, उसके लिये संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार अधिकतम राशि, जिसके लिये राज्य द्वारा गारंटी दी गई और पिछले तीन वर्षों की बकाया गारंटियां तालिका 1.16 में दी गई हैं।

**तालिका 1.16: हरियाणा सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां**

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2009-10	2010-11	2011-12	
			बजट अनुमान	वास्तविक
अधिकतम गारन्टीड राशि	4,757	5,515	3,675	10,690
फीस सहित लम्बित गारन्टीड राशि	4,565	4,528	3,675	5,608
कुल राजस्व प्राप्तियों की अधिकतम गारन्टीड राशि की प्रतिशतता	23	22	11	35

(योत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

2011-12 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के बदले कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2012 तक गारंटी फीस सहित लम्बित गारंटीड राशि ₹ 5,608 करोड़ में से निगमों और बोर्डों (₹ 590 करोड़), सहकारी बैंक और समितियां (₹ 2,005 करोड़), सरकारी कम्पनियां (₹ 936 करोड़) और विद्युत (₹ 2,077 करोड़) के विरुद्ध थी।

कुल देयताओं में से आकस्मिक देयताओं के लिये 2003-04 के दौरान सरकार ने गारंटी ऋण विमोचन निधि का संघटन किया। 31 मार्च 2012 को निधि में शेष ₹ 69.87 करोड़ था। पूरी राशि निवेश कर दी गई। गारंटी ऋणविमोचन निधि के निवंधनों के अनुसार, सरकार को बकाया आमन्त्रित गारंटियों का कम से कम 1/5 के बराबर राशि, वर्ष के दौरान जुड़ने वाली गारंटियों के परिणामस्वरूप आमन्त्रित होने वाली राशियों को जोड़कर, राशि प्रदान करनी थी। सरकार ने ₹ 5.63 करोड़ का अंशदान किया जोकि लम्बित गारंटियों का 0.10 प्रतिशत था। तथापि, 31 मार्च 2012 को ₹ 5,608 करोड़ की बकाया गारंटी ₹ 3,675 करोड़ के बजट अनुमान से अधिक थी।

गारंटियों के अतिरिक्त सरकार ने विद्युत क्षेत्र की सरकारी कम्पनियों के पक्ष में ₹ 900 करोड़ के कुल ऋणों के लिए लैटर्स ऑफ कम्फर्ट बैंकों को जारी किए। 31 मार्च 2012 को इस संदर्भ में ₹ 692 करोड़ बकाया थे। यह राशि, यदि लम्बित देयताओं (₹ 60,840 करोड़) में सम्मिलित की जाए, जी.एस.डी.पी. का 19.67 प्रतिशत होगी।

### पैंशन निधि का निवेश

वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 183 करोड़ की राशि का कर्मचारियों का अंशदान तथा नियोक्ता के अंशदान का हिस्सा नैशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के पास जमा करवाया गया। इस कारण 31 मार्च 2012 को सरकार के पास ₹ 17.41 करोड़ की देयता थी।

#### 1.7.4 लोक निजी साझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना का पर्याप्त विकास उपलब्ध कराने के विचार से, जो कि आर्थिक वृद्धि पोषण के लिए अनिवार्य है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए लोक निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) माध्यम को अपनाना।

इसके अन्तर्गत, राज्य सरकार ने ₹ 572.92 करोड़ (परिशिष्ट 1.10) की कुल अनुमानित लागत से 20 परियोजाएं पूर्ण की। 31 मार्च 2012 को ₹ 57,875.50 करोड़ की कुल अनुमानित लागत के साथ 15 पी.पी.पी. परियोजनाएं (परिशिष्ट 1.11) कार्यान्वयन अधीन थी।

#### 1.7.5 रिजर्व निधि के अन्तर्गत शेष

रिजर्व निधि के अन्तर्गत शेष 2011-12 के प्रारंभ में ₹ 1,786.37 करोड़ का आरंभिक शेष था। ₹ 442.61 करोड़ जोड़ने तथा ₹ 76.75 करोड़ के वितरण के बाद निधि ₹ 2,152.24 करोड़ के शेष के साथ बंद की गई थी। इसमें से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (संकट राहत निधि) ₹ 924.71 करोड़ के शेष के साथ 1 अप्रैल 2011 को खोली गई थी तथा 31 मार्च 2012 को ₹ 185.76 करोड़ की प्राप्ति तथा ₹ 17.60 करोड़ के वितरण के बाद ₹ 1,092.87 करोड़ पर बंद की गई थी। शोधन निधि का अन्तिम शेष 2010-11 में ₹ 525.98 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 191.12 करोड़ (अंशदान: ₹ 1,50.89 करोड़ और निवेश पर आय: ₹ 40.23 करोड़) प्राप्त किया गया परन्तु निधि में से कोई सवितरण नहीं किया गया। ₹ 717.10 करोड़ पर निधि बंद की गई थी।

#### 1.8 ऋण पोषण

सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अतिरिक्त, राज्य के ऋण पोषण को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। ऋण स्थिरीकरण; गैर - ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता; उधार लो गई निधियों की निवल उपलब्धता; ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात द्वारा मापकर) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता स्परेक्वा के संबंध में राज्य सरकार के ऋण का पोषण निर्धारित करता है।

**तालिका 1.17 तथा 1.18 2007-08 से पांच वर्ष की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण पोषण का विश्लेषण करती है।**

**तालिका 1.17: ऋण पोषण: सूचक एवं प्रवृत्तियां**

(₹ करोड़ में)

ऋण पोषण के सूचक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फैलाव + प्राथमिक घाटा)	4,027	(-) 1,283	(-) 5,594	(-) 17	259
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	(-) 2,443	(-) 5,293	(-) 3,533	2,831	105
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	(-) 1,709	1,113	4,682	3,564	4,642
ब्याज भुगतान का भार (आई.पी./आर.आर. अनुपात)	12	13	13	13	13

(योत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

लेखापरीक्षा विश्लेषण ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- मूल घाटे के साथ - साथ प्रमात्रा प्रसार यदि शून्य है तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण धीरे - धीरे स्थिर हो जाएगा। मूल घाटे के साथ - साथ प्रमात्रा प्रसार 2010 - 11 में ( - ) 17 से 2011 - 12 में 259 हो गया, ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात धीरे - धीरे कम हो जाएगा।
- गैर - ऋण प्राप्तियों और राज्य के कुल व्यय के बीच धनात्मक संसाधन अंतर सरकार की ऋण पोषण की क्षमता में सुधार को इंगित करता है।
- उधार ली गई निधियों से निवल निधियों की उपलब्धता स्थिति 2008 - 09 में ₹ 1,113 करोड़ से 2011 - 12 में ₹ 4,642 करोड़ हो गई। 2011 - 12 के दौरान सरकार ने ₹ 6,357 करोड़ (क्रमशः 9.39 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 362 करोड़, 8.93 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 500 करोड़, 8.88 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 445 करोड़, 8.71 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 750 करोड़, 9.22 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 500 करोड़, 9.03 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 500 करोड़, 8.59 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 500 करोड़, 8.65 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 1,000 करोड़ तथा 8.36 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 1,800 करोड़) के मार्किट ऋण लिए।

**तालिका 1.18: राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (वर्षों में)**

(₹ करोड़ में)

वर्षों की संख्या	2008 - 09	2009 - 10	2010 - 11	2011 - 12
0-1	1,153.46 (5)	14,930.27(6)	3,275.07(9)	4,970.85(12)
1-3	2,790.89 (12)	28,167.40(12)	4,314.32(12)	4,585.10(11)
3-5	3,892.16 (17)	29,221.95(13)	4,431.02(13)	3,645.32(9)
5-7	3,871.19 (17)	28,592.97(13)	2,115.30(6)	4,714.03(11)
7 और अधिक		1,25,357.14(56)	20,528.33(60)	23,480.82(57)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि सरकार को इसके ऋणों का एक से तीन वर्षों के मध्य 11 प्रतिशत, तीन से पांच वर्षों के मध्य नौ प्रतिशत, पांच से सात वर्षों के मध्य 11 प्रतिशत और सात वर्षों के बाद 57 प्रतिशत पुनर्भुगतान करना होगा जिसके लिए सरकार को आने वाले वर्षों में ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए निधियां उत्पन्न करने के लिए इसका वित्त पोषण सुधारना होगा।

सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अतिरिक्त उधार न लिए जाएं जो इन महत्वपूर्ण वर्षों में परिपक्व हों, ऋण पुनर्भुगतान की प्रणाली कार्य में लानी पड़ेगी। जब तक ऋण नियंत्रित नहीं किए जाते, राज्य को ऋण सेवा में गंभीर समस्या होगी।


### 1.9 राजकोषीय असंतुलन

एक निश्चित समयावधि के दौरान तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने अर्थात् राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा राज्य सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा को दर्शाते हैं। सरकारी लेखाओं में घाटा, इसके प्राप्तियां और व्यय के मध्य अन्तर का प्रतिनिधित्व करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध के विवेक की द्योतक है। आगे, वे तरीके जिनसे घाटे का वित्तपोषण किया जाता है और बनाये गये स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के आवश्यक संकेतक है। यह खण्ड, इन घाटों के वित्त पोषण की प्रवृत्ति, प्रकृति,

मात्रा और पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2011–12 के लिये एफ.आर.बी.एम. आधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निश्चित लक्षणों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

### 1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.14: 2007–12 की समयावधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखन।)

### तालिका 1.18: 2006–11 की अवधि पर घाटा सूचकों की प्रवृत्तियाँ

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आरडी./जी.एस.डी.पी.	0.015	(-) 0.011	(-) 0.019	(-) 0.010	(-) 0.005
एफ.डी./जी.एस.डी.पी.	(-) 0.008	(-) 0.036	(-) 0.045	(-) 0.027	(-) 0.023
पी.डी./जी.एस.डी.पी.	0.007	(-) 0.023	(-) 0.033	(-) 0.015	(-) 0.010

राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करते हुए राजस्व घाटा, जो एफ.आर.बी.एम. के अनुसार 2011–12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना था और 2014–15 तक शून्य पर स्थिर रखा जाना था। राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा 2009–10 में क्रमशः बढ़कर ₹ 4,264 करोड़, ₹ 10,090 करोड़ और ₹ 7,353 करोड़ तक हो गया और 2011–12 की समाप्ति पर कुछ घटती प्रवृत्ति दर्शाने के बाद क्रमशः ₹ 1,457 करोड़, ₹ 7,153 करोड़ और ₹ 3,152 करोड़ पर स्थिर रहा।

वर्ष के दौरान, राजस्व घाटा (₹ 1,289 करोड़) राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,994 करोड़ की वृद्धि के कारण कम हो गया। जबकि ₹ 7,153 करोड़ का वित्तीय घाटा पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण 2010–11 में केवल ₹ 105 करोड़ तक कम हो गया। यह जी.एस.डी.पी. का 2.31 प्रतिशत था जो कि वर्ष की एफ.सी.पी. में निर्धारित तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर था। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक राजस्व आधिक्य में वृद्धि के कारण 2010–11 में ₹ 3,939 करोड़ से 2011–12 में ₹ 3,152 करोड़ तक कम हो गया।

वर्ष 2011-12 के लिए नियत किया गया शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका (परिशिष्ट 1.6)। राज्य सरकार ने भूमि (परिसंपत्तियां) की बिक्री के कारण ₹ 406.33 करोड़ की प्राप्ति पूँजीगत प्राप्तियों की बजाय राजस्व प्राप्तियों में वर्गीकृत कर दी। सही वर्गीकरण से राजस्व घाटा ₹ 406.33 करोड़ तक बढ़ जाता।

### 1.9.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्त प्रबन्ध पद्धति

तालिका 1.19 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्तप्रबन्ध पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2011-12 के दौरान राजकोषीय घाटा वित्त प्रबन्ध के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण तालिका 1.20 में दिए गए हैं।

**तालिका 1.19: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसके वित्त प्रवाह**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	<b>राजकोषीय घाटे का विघटन</b>	(-) 1,264	(-) 6,557	(-) 10,090	(-) 7,258	(-) 7,153
1	राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+)	(+) 2,224	(-) 2,082	(-) 4,264	(-) 2,746	(-) 1,457
2	निवल पूँजीगत व्यय	(-) 3,416	(-) 4,495	(-) 5,209	(-) 4,023	(-) 5,363
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 72	20	(-) 617	(-) 489	(-) 333
	<b>राजकोषीय घाटे की वित्त प्रबन्ध पद्धति</b>					
1	मार्किट उधारियां	(-) 253.73	2,504.54	3,683.68	4,157.63	5,994.89
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 44.98	(-) 47.46	(-) 34.16	183.71	(-) 127.17
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	50.56	(-) 79.73	534.43	934.31	(-) 329.47
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	250.75	218.88	1,525.45	595.99	1,191.44
5	अल्प बचत भविष्य निधि इत्यादि	299.32	352.38	861.92	747.80	718.53
6	रिजर्व निधि	15.23	(-) 4.81	(-) 39.13	8.93	(-) 16.65
7	जमा एवं अग्रिम	184.72	216.62	526.64	316.66	826.54
8	उचंत एवं विविध	21.69	3,546.38	2,785.98	(-) 635.88	406.73
9	प्रेषण	14.28	(-) 26.63	(-) 282.96	305.08	214.88
10	<b>कुल आधिक्य (+) घाटा (-)</b>	<b>537.84</b>	<b>6,680.17</b>	<b>9,561.85</b>	<b>6,614.23</b>	<b>8,879.72</b>
11	रोकड़ शेष में अधिक (-) कमी (+)*	(+) 726.03	(-) 122.37	(+) 528.81	(+) 644.20	(-) 1,726.40
12	<b>कुल राजकोषीय घाटा</b>	<b>1,264</b>	<b>6,557</b>	<b>10,090</b>	<b>7,258</b>	<b>7,153</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेरवे।)

\* 8999 - रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)।

**तालिका 1.20: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण  
(₹ करोड़ में)**

	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार उधार	6,356.65	361.76	5,994.89
2	जी.ओ.आई. से ऋण	97.72	224.89	(-) 127.17
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	141.69	471.16	(-) 329.47
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	4,170.77	2,979.33	1,191.44
5	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	2,198.62	1,480.09	718.53
6	जमा और अग्रिम	10,115.38	9,288.84	826.54
7	रिजर्व निधियां	442.61	459.26	(-) 16.65
8	उचंत एवं विविध	26,586.66	26,179.93	406.73
9	प्रेषण	5,657.68	5,442.80	214.88
10	समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)			8,879.72
11	नकद शेष में वृद्धि (-) कमी (+)			(-) 1,726.40
12	कुल राजकोषीय घाटा			7,153

(स्रोत: राज्य वित्त लेखें।)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार के उधारों और इसके संसाधन अंतर को प्रस्तुत करता है, 2010-11 में ₹ 7,258 करोड़ से कम होकर 2011-12 में ₹ 7,153 करोड़ हो गया। बाजार उधारों का योगदान ₹ 5,995 करोड़ था जो कि 2010-11 में ₹ 4,158 करोड़ से ₹ 1,837 करोड़ अधिक था। सरकार द्वारा किए गए अन्य मुख्य घाटे को पोषित करने के उपाय थे वित्तीय संस्थाओं से ऋण (₹ 1,191 करोड़), राज्य भविष्य निधि खाता में वृद्धि (₹ 719 करोड़) और जमा में वृद्धि (₹ 827 करोड़)।

लघु बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि के अन्तर्गत शेषों के विश्लेषण ने प्रकट किया कि '8011-बीमा और पैशान निधि, 107-राज्य सरकार कर्मचारी बीमा स्कीम' के अन्तर्गत ₹ 21.72 करोड़ के खराब शेष थे। यह राज्य सरकार द्वारा इन निधियों पर ब्याज के असमायोजन के कारण था।

### 1.9.3 घाटे/आधिक्य के गुण

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे एवं पूंजी व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) में वियोजन राज्य के वित्तों में घाटे के गुण को इंगित करती है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात संकेत करता है कि किस मात्रा तक उधार ली गई निधियां वर्तमान खपत के लिये प्रयोग में लाई गई थीं। आगे, राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात भी संकेत करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार सिकुड़ रहा था और उधारों (राजकोषीय देयताओं) के एक हिस्से की कोई परिसम्पत्ति पृष्ठभूमि नहीं थी। प्राथमिक घाटे का बंतवारा (तालिका 1.21) पूंजीगत व्यय, जो राज्य की वित्तप्रबन्ध की उत्पादक क्षमता को सुधारने के लिये जरूरी है, में उस मात्रा जिस तक घाटा पूंजी व्यय की वृद्धि की ओर रहा है, की ओर संकेत करता है।

## तालिका 1.21: प्राथमिक घाटा / आधिक्य – सूचकों का विघटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर - ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-) / आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2007-08	19,975	15,181	3,426	286	18,893	4,794	1,082
2008-09	18,811	18,195	4,502	332	23,029	616	(-) 4,218
2009-10	21,215	22,520	5,218	830	28,568	(-) 1,305	(-) 7,353
2010-11	25,805	24,991	4,031	722	29,744	814	(-) 3,939
2011-12	30,861	28,014	5,372	627	34,013	2,847	(-) 3,152

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेख।)

प्राथमिक राजस्व आधिक्य ने अंतिम दो वर्षों में सुधार दिखाया। 2009-10 में ₹ 1,305 करोड़ के घाटे ने 2010-11 में ₹ 814 करोड़ के आधिक्य से सुधार दिखाया जो आगे 2011-12 में ₹ 2,847 करोड़ तक बढ़ गया। परन्तु 2007-08 में प्राप्त ₹ 4,794 करोड़ के चिन्ह से यह अभी भी कम था। ये तथ्य इस कारण था कि प्राथमिक राजस्व व्यय, गैर - ऋण प्राप्तियां की अपेक्षा अधिक दर पर बढ़ रहा था। 2007-08 से 2011-12 के दौरान गैर - ऋण प्राप्तियों में वृद्धि 55 प्रतिशत थी जब कि इसी अवधि के दौरान प्राथमिक व्यय 80 प्रतिशत तक बढ़ गया। तथापि, विवरण इंगित करते हैं कि गैर - ऋण प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी और इन प्राप्तियों का हिस्सा पूँजीगत व्यय को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया गया। राज्य को 2008-09 से प्राथमिक घाटा हो रहा था जो कि 2011-12 के अंत तक ₹ 3,152 करोड़ हो गया। यह इंगित करता है कि उधार ली गई निधियां प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की गई थीं।

## 1.10 निष्कर्ष

**राजस्व एवं व्यय की प्रवृत्ति:** कर राजस्व में 21 प्रतिशत बढ़त के कारण राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 20 प्रतिशत की बढ़त आई। 2011-12 में कर राजस्व सरकार द्वारा एफ.सी.पी. में बनाए गए प्रक्षेपणों की तुलना में 1.70 प्रतिशत कम रहा लेकिन एम.टी.एफ.पी.एस. में बनाए प्रक्षेपणों और ते.वि.आ. द्वारा क्रमशः 1.96 प्रतिशत और 1.13 प्रतिशत अधिक रहा। कर - भिन्न राजस्व ते.वि.आ. द्वारा बनाए गए प्रक्षेपण से 65 प्रतिशत कम था परन्तु सरकार द्वारा एफ.सी.पी. और एम.टी.एफ.पी.एस. में बनाए गए प्रक्षेपण से क्रमशः 3 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अधिक था।

राजस्व व्यय, जिसने वर्ष के दौरान कुल व्यय का 84 प्रतिशत संघटित किया, पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत बढ़ गया। इसका एन.पी.आर.ई. घटक, जो ₹ 24,223 करोड़ था, राज्य के लिए ते.वि.आ. के प्रक्षेपण (₹ 20,360 करोड़) से 19 प्रतिशत, राज्य के अपने एफ.सी.पी. (₹ 23,490 करोड़) के प्रक्षेपण से तीन प्रतिशत अधिक था परन्तु एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण ₹ 24,861 करोड़ से तीन प्रतिशत कम था। गैर - योजना राजस्व व्यय के अन्तर्गत चार संघटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियां, पैशन देयताएं, ब्याज भुगतान और परिदानों ने 2011-12 के दौरान लगभग 83 प्रतिशत संघटित किया। इसके अतिरिक्त, कुल परिदानों (₹ 3,853 करोड़) का 93 प्रतिशत (₹ 3,585 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के लिए था तथा एफ.सी.पी. के प्रक्षेपण (₹ 3,321 करोड़) से अधिक था।

पूँजीगत व्यय, जिसने कुल व्यय का 14 प्रतिशत संघटित किया, और 2010-11 से 2011-12 में 33 प्रतिशत तक बढ़ गया।

स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता (₹ 3,306.01 करोड़) ने 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय का 10 प्रतिशत संघटित किया तथा 2010-11 से 49 प्रतिशत तक बढ़ गया।

**राजकोषीय सुधार:** राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम पारित करने वाले शुरूआती राज्यों में से हरियाणा भी एक है। राजकोषीय मानकों अर्थात् राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे में 2009-10 में क्रमशः ₹ 4,264 करोड़, ₹ 10,090 करोड़ और ₹ 7,353 करोड़ की वृद्धि हुई, और 2010-11 में कुछ घटती प्रवृत्ति दर्शाते हुए 2011-12 में क्रमशः ₹ 1,457 करोड़, ₹ 7,153 करोड़ और ₹ 3,152 करोड़ रही।

**कर्ज निर्वहन योग्यता:** एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुसार, आकस्मिक देयताओं सहित कुल कर्ज उस वर्ष के अनुमानित जी.एस.डी.पी. के 22.6 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 2011-12 के दौरान गारंटियों एवं लैटर्स ऑफ कम्फर्ट सहित कुल देयताएं ₹ 60,840 करोड़ थीं जो जी.एस.डी.पी. का 19.67 प्रतिशत है जो एफ.आर.बी.एम. अधिनियम की सीमा में था।

**सरकारी निवेशों की समीक्षा:** सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत आवर्त्त पिछले पांच सालों में 0.02 से 0.17 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि सरकार ने इन निवेशों पर 7.43 से 9.73 प्रतिशत तक का औसत ब्याज भुगतान किया (अनुच्छेद 1.6.3)। 2011-12 के दौरान निवेशों का मुख्य हिस्सा (96 प्रतिशत) विभिन्न विद्युत निगमों के साम्या शेयरों में निवेश के रूप में किया गया।

सात गैर-कार्यचालन पी.एस.यू. थे जिसमें से दो बंद होने के अधीन थे। गैर-कार्यचालन पी.एस.यू.ज के विनिवेश, निजीकरण और पुनः स्थापन के लिए कार्रवाई नहीं की गई थी।

**अपूर्ण परियोजनाएं:** आठ परियोजनाएं, जो अप्रैल 2007 और सितम्बर 2011 के बीच पूर्ण की जानी थीं, 2011-12 तक अपूर्ण थीं।

**राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार से सीधे हस्तान्तरित निधियों की अवहेलना:** वर्ष के दौरान भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर ₹ 2,009.71 करोड़ हस्तान्तरित किए तथा सीधे हस्तान्तरण गत वर्ष से ₹ 700.87 करोड़ (54 प्रतिशत) तक बढ़ गए। चूंकि ये निधियां सरकारी खातों के द्वारा नहीं दी जाती, जी.ओ.आई से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों के सीधे हस्तान्तरण में खातों के अनुरक्षण और इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग की अवहेलना का खतरा रहता है। इन सभी अभिकरणों द्वारा एक समान लेखांकन कियाओं के अभाव में उपयुक्त दस्तावेज नहीं थे और इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय की स्थिति के बारे में समय पर रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी।

### 1.11 अनुशंसाएं

- ते.वि.आ. की सिफारिशों के अनुसार 2011-12 तक राजस्व घाटे को शून्य तक लाया जाना था जिसके लिए कर अनुपालन में वृद्धि, प्रशासनिक लागतों में कमी और अनुत्पादक व्यय कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- ऋणित निधियां यथासंभव केवल संरचना विकास हेतु प्रयुक्त की जानी चाहिए और राजस्व व्यय पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों में से पूरा किया जाना चाहिए। प्राथमिक सरप्लस और शून्य राजस्व घाटे की स्थिति में वापस पहुंचने के प्रयास यथाशीघ्र किए जाने चाहिए। ऋणों का एक कलैण्डर, ताकि वित्त वर्ष के अन्त में

इनका एकत्रीकरण न हो, बनाने और कर्ज देयताओं की परिपक्वता सूची बनाए जाने से विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन सम्भव होगा।

- सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह ऐसे निवेश करे जिसमें मूल्यों की उचित वापसी हो अन्यथा उच्च मूल्य दर पर लिए गए ऋण कम वित्तीय लाभों वाली परियोजनाओं में लगाए जाते रहेगे। वे परियोजनाएं, जो कम खर्च परन्तु ज्यादा सामाजिक - आर्थिक प्राप्तियों के लिए उचित हैं, चिह्नित की जाएं तथा उच्च लागत ऋणों हेतु पूर्ण औद्योगिक के साथ प्राथमिकता दी जाए। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों, जिनमें बड़े नुकसान (अनुच्छेद 1.6.3) हो रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना भी उचित होगा और एक पुनर्जीवन योजना परिकलित की जाए उनके लिए जो अनुकूल प्रकृति की हैं और पुनर्जीवित की जा सकती हैं या अपनी साम्या का विनिवेश कर बीमार यूनिटों को बंद कर दिया जाए।
- भा.स. निधियां, जो राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती हैं, का उचित लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता है और अद्यतन की गई सूचना राज्य सरकार और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा मान्य होनी चाहिए।